



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मलका रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि. सिकन्दराबाद द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि 2.00 हे. एवं राजस्व वन भूमि 4.69 हे.; कुल 6.69 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के अभिमत से सहमत होते हुए वन संरक्षण अधिनियम - 1980 के अंतर्गत व्यपर्वतन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 24/04/2019

स्थान: रायपुर

(राकेश कुमार चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़, रायपुर